

शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदण्ड :-

समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये 05 कि.मी. दौड़ निम्नानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है:-

पदनाम	पुरुष	महिला	भूतपूर्व सैनिक	ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र के अनु.जाति/अनु.जनजाति
कान्स्टेबल सामान्य/इन्टेलीजेन्स/चालक/ बैण्ड/घुड़सवार/श्वानदल/ पुलिस दूर संचार	25 मिनट	35 मिनट	30 मिनट	30 मिनट

गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है। इसके उपरान्त भी यदि कोई गर्भवती महिला अभ्यर्थी अपनी जोखिम पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती है तो शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य (FIT) होने का मेडीकल बोर्ड से जारी प्रमाण-पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिला भर्ती बोर्ड गर्भवती महिला का ग्राउण्ड पर उपलब्ध मेडीकल बोर्ड से अपने विवेकानुसार पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मेडीकल कराने के लिए स्वतन्त्र होगा।

नोट-

- 1- शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील करने का अवसर देय नहीं होगा।
- 2- निर्धारित समयावधि में दौड़ पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

(ii) शारीरिक मापतौल (Physical Standard Test/PST)-

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल परीक्षा (PST) में सम्मिलित किया जायेगा। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतौल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत करायेगा तथा हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थियों की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील किये जायेंगे।

अपील-शारीरिक मापतौल में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/- शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। अपील की क्रियान्विति के लिए भर्ती बोर्ड के सहायतार्थ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जावेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवं चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होंगे। स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कराएगा जिसमें एक महिला फिजिशियन, एक सर्जन एवं एक हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक होगा। अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन भर्ती बोर्ड द्वारा मेडिकल बोर्ड की सहायता से मापतौल कराई जायेगी तथा वह मापतौल ही अन्तिम मानी जाएगी। बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट वीडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ट होगा जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है उसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगे तथा उसके हस्ताक्षर लेंगे।

शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass with Relaxation) एवं बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass without Relaxation) अंकित होगा।

11. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (Computer Based Test)

शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा में सफल रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसकी सूचना समाचार पत्रों/वेबसाईट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार के 150 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घन्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 01 अंक देय होगा। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जायेगा। यह परीक्षा ऑनलाईन Computer Based होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी-

भाग - विषय	प्रश्न	अंक
अ-विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान	60	60
ब-सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएँ व संस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी	45	45
स-राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि	45	45
कुल	150	150

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40 प्रतिशत प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36 प्रतिशत प्राप्तांक समग्र रूप से लाना अनिवार्य है। ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक (minimum) सीमा लागू नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में उत्तीर्ण होने के लिए सम्बन्धित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 5 प्रतिशत शिथिलन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(18) डीओपी/ए-2/84/पार्ट-2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या-9 में वर्णित नियम-18 ए(i) के अनुसार देय होगा।

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के पश्चात प्रश्न-पत्र सम्बन्धी आपत्तियाँ आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जावेगा।

12. दक्षता परीक्षा (कॉन्स्टेबल चालक/बैण्ड/घुड़सवार/श्वानदल आवेदकों के लिए)-

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में कॉन्स्टेबल चालक/घुड़सवार/श्वानदल पदों के लिए सफल अभ्यर्थियों तथा कॉन्स्टेबल बैण्ड पद के आवेदकों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो 30 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36 प्रतिशत, ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कॉन्स्टेबल चालक पद के आवेदकों के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से एक वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थाई वैध ड्राईविंग लाइसेंस (LMV /HMV) होना आवश्यक है अन्यथा दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेंगे। दक्षता परीक्षा में निर्धारित प्राप्तांक अर्जित नहीं करने वाले अभ्यर्थी अयोग्य माने जायेंगे तथा भर्ती की अग्रिम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

विस्तृत विवरण स्थाई आदेश संख्या-04/2023 में वर्णित है।

13. विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक-

कॉन्स्टेबल सामान्य/पुलिस दूर संचार/इन्टेलीजेन्स पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता, मापतौल परीक्षा एवं कम्प्यूटर आधारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक (अधिकतम अंक 20) प्रदान किये जायेंगे, जिनकी गणना अंतिम चयन हेतु की जायेगी। विशेष योग्यता हेतु निर्धारित अंकों में न्यूनतम उत्तीर्णांक आवश्यक नहीं है:-

एन.सी.सी.

क्र.सं.	प्रमाण पत्र की श्रेणी	अंक
1	सी- प्रमाण पत्र	10
2	बी- प्रमाण पत्र	08
3	ए- प्रमाण पत्र	06

होमगार्ड

क्र.सं.	सेवा अवधि	अंक
1	होमगार्ड में निरन्तर 3 वर्ष तक सेवा देने पर	10
2	होमगार्ड में निरन्तर 2 वर्ष तक सेवा देने पर	08
3	होमगार्ड में निरन्तर 1 वर्ष तक सेवा देने पर	06

पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी

क्र.सं.	डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त	अंक
1	एम.ए./एम.एस.सी. क्रीमीनोलाजी, साईबर सुरक्षा एवं इससे सम्बन्धित विषय	10
2	सिक््युरिटी मैनेजमेन्ट व सोशल साइन्स(पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय) में बी.ए./एल.एल.बी. की उपाधि	08
3	उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त	06

- नोट:-
1. उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा इंगित कोई भी दो का विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग होगा।
 2. अभ्यर्थियों द्वारा विशेष योग्यता के मूल प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित प्रतियाँ शारीरिक दक्षता/मापतौल परीक्षा (PET/PST) के समय चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

14. दस्तावेज सत्यापन-

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में सफल होने वाले अभ्यर्थियों एवं कॉन्स्टेबल बैण्ड पद के आवेदकों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु भर्ती बोर्ड द्वारा पृथक से तिथि निर्धारित की जायेगी, जिसकी सूचना जरिरे प्रेसनोट दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी तथा पुलिस बैवसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर भी अपलोड की जायेगी।